न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा0पत्र / 65 / 2021

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. (पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सेरस इंडिया लिं.) रजिस्टर्ड ऑफिस– 19ए धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़ जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

1–मै0 शिवम किराणा स्टोर वास्ते प्रोपराईटर रामबाबू पता– बूचाका तहसील नगर जिला भरतपुर 321205
2–रामबाबू पुत्र चरण सिंह पता– बूचका सैमला कलां तहसील नगर जिला भरतपुर

......अप्रार्थी.सहऋणी

2–श्री चरण पुत्र पुन्या , पता– पट्टा न. 06 मिसल नं. 6 गांव बूचाका ग्रांम व पोस्ट मोराका पंयाचत समिति नगर जिला भरतपुर 321205

.......अप्रार्थी सह ऋणी गारन्टर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से कब्जा दिलाये जाने हेतु।

आदेश **दिनांक 06.07.2023**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी. धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ऋणी ने दिनांक 2.12.2019 को प्रार्थी से 700000 / –रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत कराई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने आवासीय सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 283.55 वर्ग गज, प्लाट नं. 06 मिसल नं. 6 , जिसके पूर्व में– मकान कुनवार, पश्चिम में – रास्ता आम, उत्तर में– मकान कमल

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पुत्र सुक्खदेव, दक्षिण में – मकान वन्दू मीना, गांव बूचाका ग्राम व पोस्ट मोराकर पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निरपादित किया था।

अप्रार्थीगण ऋणीयों के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि समय अवधि में जमा नही कराई गई जिसके कारण अप्रार्थीगण / ऋणीयों के खाता को दिनांक 12–3–2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 22–05–2021 तक 704978 / –रुपये व ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थीगण / ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थीगण / ऋणी के द्वारा जमा नही कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 24–05–2021 अप्रार्थीगण / ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवश के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि को अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नही की गई हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेते समय बैंक को पुलिस की सहायता भी उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 / ऋणी ने उपर्युक्त आवासीय सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण / ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया। तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी / अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नही की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण / ऋणीयों के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पति का कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित है।

..........3

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 65 / 2021
ए.यू स्मॉल फाइनेन्स बैंक बनाम मै. शिवम किराना स्टोर

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय आवासीय सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 283.55 वर्ग गज, प्लाट न. 06 मिसल नं. 6 , जिसके पूर्व में— मकान कुनवार, पश्चिम में — रास्ता आम, उत्तर में— मकान कमल पुत्र सुक्खदेव, दक्षिण में — मकान बन्टू मीना, गांव बूचाका ग्रांम व पोस्ट मोराकर पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था का भैातिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधी अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकता अनुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर